भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 142*

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 8 मार्च, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों का निर्माण

142*. श्री तिरुची शिवा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत चालित वाहनों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ऐसे वाहनों के निर्माण के लिए किस प्रकार से वित्तीय आवंटन करने की योजना बना रही है तथा क्या इस पर राज-सहायता प्रदान किए जाने की कोई योजना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

******

<u>विवरण</u>

<u>"विद्युत चालित वाहनों के निर्माण" के संबंध में श्री तिरुची शिवा द्वारा पूछे गए दिनांक 08.03.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 142 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख):

हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसकी विनिर्माण पारिस्थितिकी की सहायता करने के लिए सरकार ने मार्च 2015 में एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की। यद्यपि समग्र परियोजना को 6 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव था, फिर भी सरकार ने आरंभ में ।795 करोड़ के परिव्यय के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए योजना के चरण-I के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन दिया। इस योजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं, अर्थात प्रौद्योगिकी विकास, मांग का सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना।

विद्यमान योजना में, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण हेतु राज-सहायता उपलब्ध कराने अथवा वित्त पोषण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक (एक्सईवी) को किफायती बनाने के लिए इसे व्यापक रूप से अपनाने हेतु अपफ्रंट कम किए गए खरीद मूल्य के रूप में एक्सईवी के खरीददारों के लिए मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है।

इसके अलावा, इस नई प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता/संवर्धन को समर्थ बनाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का वित्त पोषण भी किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है।

इस योजना की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि स्टेक होल्डरों से इनपुट और भविष्य में निधियों के पर्याप्त आवंटन के साथ चरण-I के बाद कार्यान्वयन हेतु चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

तथापि, स्कीम को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

तदनुसार, सरकार ने शून्य उत्सर्जन वाले वाहन और सहायक प्रौद्योगिकियों को आरंभ करने के लिए एक कार्यनीति बनाने की प्रक्रिया आरंभ की।

******